



राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम
ADDL. CHIEF ENGINEER-I,

No.: ACE-I/RHB/JPR/2021-22/ 89

Date :- 02.06.2024

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा संख्या 01/2021-22 जो कि ऑन लाईन ई-प्रोक के माध्यम से दिनांक 15.04.2021 से 26.04.2021 तक संवेदकों द्वारा अपलोड की जानी थी। निविदा में अमानत राशि, टेन्डर कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस व अन्य वांछित प्रपत्र दिनांक 24.04.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा होकर, वित्तीय बिड दिनांक 28.04.2021 को खोली जानी प्रस्तावित थी, परन्तु COVID-19 के द्वितीय वेव के कारण दिनांक 17.04.2021 से जारी लॉकडाउन में अब कार्यालय खोलने अनुमत होने पर इस निविदा में अमानत राशि, टेन्डर कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस सहित अन्य वांछित प्रपत्र अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम के कार्यालय में दिनांक 09.06.2021 को अपराह्न 4:00 बजे तक जमा किये जावेंगे एवं निविदा की वित्तीय बिड आवासीय अभियंता, ई-प्रोक के कार्यालय में दिनांक 10.06.2021 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी।

SDH
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. तकनीकी सलाहकार-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आवासीय अभियंता, खण्ड-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियंता, ई-प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ)-अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

SDH
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम